धारा 22 : नियम बनाने की शक्ति

(1) सरकार परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार ऐसे सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी, जो इस अधिनियम द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित हों या विहित किए जाएं या जिनके सम्बन्ध में उपबन्ध नियमों द्वारा बनाए जाने है या बनाए जाएं।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत, उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होते हैं, अपूर्व किसी तारीख से, नियमों या उनमें से किसी नियम को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है।

(4) उपधारा (1) के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों में यह उपबन्ध किया जा सकेगा कि उनका उल्लंघन दस हजार रूपए से अनधिक की शास्ति के दायित्वाधिन होगा।